रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012023-241773
CG-DL-E-07012023-241773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 2023/पौष 17, 1944
No. 98] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 2023/PAUSHA 17, 1944

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2023

**का.आ. 104(अ).**— विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, डॉ. आसिफ मकबूल डार, जिसके जन्म की तारीख 2 दिसंबर, 1981 है, पुत्र मुहम्मद मकबूल डार, मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के बारामूला/बेमिना जिले के बगूरा तहसील के अंतर्गत गांव बांदी पाईं का रहने वाला है, जो वर्तमान में सऊदी अरब के दहरान, अश शरकियाह, दमन में रह रहा है, इसका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से है ;

और, हिजबुल मुजाहिदीन उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं. 8 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से कश्मीर घाटी के युवाओं को आंतकी गतिविधियों के लिए उकसाने में शामिल रहा है ;

और, उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपस्थित उग्र विचारधारा वाले प्रमुख लोगों में से एक है और कश्मीरी युवाओं को गलत तरीके से प्रभावित कर उन्हें भारत सरकार और सुरक्षा बलों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता है ;

और, उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषित किए जा रहे एक मामले में अभियुक्त है, जो आतंकवादी संगठनों के कैडर द्वारा सीमापार स्थित हैंडलर के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली सहित देश के बड़े शहरों में आतंकी हमलों के लिए षडयंत्र करने से संबंधित है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि डॉ. आसिफ मकबूल डार आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और उक्त डॉ. आसिफ मकबूल डार को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"52. डॉ. आसिफ मकबूल डार "।

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

**टिप्पण :--** विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 71(अ)., तारीख 6 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था ।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2023

**S.O. 104(E).—**Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Dr. Asif Maqbool Dar having date of birth on the 2nd December, 1981, son of Mohammad Maqbool Dar, belogning orignially to Village-Bandey Payeen, Tehsil-Wagoora, District –Baramula/Bemina, Srinagar, Jammu and Kashmir, presently based at Daman, Ash Sharqiyah, Dhahran, Saudi Arabia, is associated with Hizb-Ul-Muhahideen;

And whereas, Hizb-Ul- Mujahideen is listed as a terrorist organisation at serial No. 8 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Dr. Asif Maqbool Dar is in involved in instigating or provoking the youth of Kashmir Valley for terrorist activities by using social media platforms;

And whereas, the said Dr. Asif Maqbool Dar is one of the leading radical voices on social media and involved in nefariously influencing Kashmiri youth to take up arms against Indian Government and Security Forces;

And whereas, the said Dr. Asif Maqbool Dar is accused in a case investigated by the National Investigating Agency relating to conspiracy hatched by the cadres of terrorist organisation to undertake violent terrorist act in Jammu and Kashmir and major cities in India including New Delhi on the direction of handlers based across the border;

And whereas, the Central Government believes that Dr. Asif Maqbool Dar is involved in terrorism and the said Dr. Asif Maqbool Dar is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 51 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"52. Dr. Asif Maqbool Dar ".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

**Note:-** The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O.71(E)., dated the 6th January , 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.07 17:38:59 +05'30'